

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन


क्रमांक: एफ.वी.5(1)स्था/स्थानान्तरण/अ/2019/2330 जयपुर, दिनांक : 22/3/19

आदेश

निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 5601 दिनांक 11.03.2019 के क्रम में लोक सभा आम चुनाव, 2019 - आदर्श आचार संहिता की पालना - अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ3(1)(9)पिर्वा/2019/2657 दिनांक 19.03.2019 की छाया प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.03.2019 तक जारी हो चुके थे एवं उनकी पालना में दिनांक 10.03.2019 तक वे स्वतः कार्यमुक्त भी हो चुके हैं, उन्हें नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कराया जाकर पालना रिपोर्ट तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

कार्यमुक्त हुए/किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के नवीन स्थानान्तरित पदस्थापन स्थान पर यदि पद रिक्त नहीं है तो ऐसे अधिकारी/कर्मचारी का पूर्व पद पर स्थानान्तरण निरस्त किये जाने बाबत प्रस्ताव भी तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।


संलग्न:- ② पत्र


(डा. शैलेश शर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ.वी.5(1)स्था/स्थानान्तरण/अ/2019/2331-2400 जयपुर, दिनांक : 22/3/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. समस्त अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग/उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, कुचामनसिटी को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधिनस्थ समस्त स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारियों के कार्यमुक्त होने के उपरान्त नव पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण किये जाने की पालना रिपोर्ट तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. समस्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को पालनार्थ।
5. रक्षित पंजिका


निदेशक